# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

**राजस्व प्रकरण संख्या :– 145 / 2024** **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 118**
**दायर दिनांक :– 19.07.2024** **निर्णय दिनांक :– 22.12.2024**

1. ओमप्रकाश पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी बरजासर तह. फलोदी जिला फलोदी
2. खियाराम पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी बरजासर तह. फलोदी जिला फलोदी
3. गैनाराम पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी बरजासर तह. फलोदी जिला फलोदी
4. रामकुमार पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी बरजासर तह. फलोदी जिला फलोदी
5. सत्यपाल पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी बरजासर तह. फलोदी जिला फलोदी
6. सुरेश पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी बरजासर तह. फलोदी जिला फलोदी

**–प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. अनोपाराम पुत्र किसनाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. लक्ष्मी पुत्री शैतानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. पूनमचन्द पुत्र हजारीराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. जीवणराम पुत्र बरसींगाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
5. धाई पत्नी रामलाल जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
6. भारमल पुत्र बरसींगाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7. हजारीराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
8. सुन्दर पुत्र भंवरूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
9. अश्रवथामा पुत्री जीवणराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
10. किरण पुत्री भंवरूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
11. गोपीलाल पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
12. जयप्रकाश पुत्र भंवरूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
13. देवकिशन पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
14. निरमा पुत्री भंवरूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
15. परमा पत्नी भंवरूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
16. शैतानाराम पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
17. सुखदेव पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
18. सुशीला पुत्री भंवरूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
19. मेनका बिश्नोई पत्नी राजाराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
20. मांगीलाल पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी करनेवाला तहसील बाप जिला फलोदी

22.12.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

21. शारदादेवी पत्नी मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी करनेवाला तहसील बाप जिला फलोदी
22. सुमित्रा पत्नी श्यामलाल जाति विश्नोई निवासी करनेवाला तहसील बाप जिला फलोदी
23. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

**–अप्रार्थीगण**

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

**उपस्थित** :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

**–:: निर्णय ::–**

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकारों का खेत खसरा नम्बर 780/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा नेंवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी का टांका, पशुंओं का बाड़ा इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि की पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 28.05.2024 को जारी आदेश क्रम संख्या 171 की पालना में दिनांक 28.05.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर पैमाईश कर मौका फर्द तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमाज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिन्ह कायम किये गये। दिनांक 28.05.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं में फसल घास पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पटिट्या रोपकर बाडत्र इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबन्दी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़ तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल की सुरक्षा नहीं होने से अत्यधिक आर्थिक नुकसाान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 28.05.2024 के माफिक सीमा पर पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 23 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 22 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

22.12.24

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 780/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 28.05.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 780/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसिलए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक 28.05.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 780/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 28.05.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.12.24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)